न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 15/23 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2023/57

उनवान

1. श्री नाना पिता भेरा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री दला पिता वरदा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री छगनलाल पिता वरदा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री बाबुलाल पिता वरदा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री किशोर लाल पिता वरदा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री देउबाई पत्नी वरदा जी डांगी निवासी मनोहरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

......................विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 13.05.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का बग्गड भू – अभिलेख निरीक्षक खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में साबिक खसरा न. 146, 147, 367/101, 143 किता 4 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थी नाना पिता भेरा डांगी के नाम 1/2 हिस्से से एवं वरदा पिता उदा डांगी के नाम 1/2 हिस्से से खातेदारी हक से अंकित थी। उक्त कलम न. एक में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थी नाना पिता भेरा ने 16/77 हिस्सा अम्बालाल पिता दीपलाल देवीदासोत ब्राह्मण निवासी खरसाण को 09.02.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त विक्रय सुदा भूमि पर क्रेता अम्बालाल का एवं शेष 61/77 हिस्सा प्रार्थी नाना पिता भेरा डांगी का यथावत रहा जिस पर प्रार्थी नाना का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं उक्त कलम न. दो में वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 192 खोला गया तब पटवारी हल्का को विक्रय पत्र के आधार पर 16/77 हिस्से का नामान्तकरण क्रेता अम्बालाल के नाम खोला जाना चाहीये था लेकिन पटवारी हल्का ने सेवन से क्रेता अम्बालाल के नाम 1/2 हिस्सा का खोल दिया गया जो ग्राम पंचायत बग्गड द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। जब कि प्रार्थी नाना ने क्रेता अम्बालाल को 16/77 हिस्सा ही विक्रय किया गया एवं कब्जा सिपुर्द किया गया एवं शेष 61/77 हिस्से पर आज भी प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है।
2. यह कि उक्त कलम न. 1 में वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से का खातेदार वरदा पिता उदा डांगी था ओर वरदा पिता उदा डांगी द्वारा उक्त आराजीयात का कोई भी हक हिस्सा अम्बालाल को विक्रय नहीं किया गया ओर इसी दौरान खातेदार वरदा पिता उदा का निधन हो गया जिसके प्रार्थी स. 2 से 6 विधिक वारिसान है और प्रार्थी सं. 2 से 6 ने भी उक्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से को किसी भी व्य[illegible] विक्रय नहीं किया गया। राजस्व ग्राम रावतपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपु[illegible] हाल ही के वर्षों में सेटलमेंट (बन्दोबस्त) का कार्य पुर्ण हुआ जिससे [illegible] न. 146, 147, 367/101, 143 किता 4 रकबा 7 बिघा [illegible] का न[illegible] खसरा न. 194, 195, 196, 201, 202, 207, 208 किता 8 रकबा 1.2300 [illegible] उक्त कलम न. [illegible] वर्णित साबिक खसरा न. 146, 147, 367/101, 143 किता 4 [illegible] 7 बिघा 14 बिस्[illegible] नवीन खसरा न. 194, 195, 196, 201 202, 206, 207, 208 किता 8 रकबा 1.2300 है. कायम करते वक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी स. 2 से 6 का हिस्सा अम्बालला पिता दीपलाल देवीदासोत निवासी खरसाण के नाम हेरफेर कर अंकित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) ... ... कर दिया है यानि पुर्व के रेकार्ड की ...
दिया एवं राजस्व नक्शे में हेरफेर कर दिया है यानि पुर्व के रेकार्ड को मिलान करने पर काफी अन्तर
नक्शा एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे को मिलान करने पर काफी अन्तर
सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा कानून नियम के विपरित गलत प्रविष्टी कर दी
रेकर्ड में शुद्धि के जरिये सही किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के साबिक ख
7 बिघा 14 बिस्वा था जिसे नवीन सेटलमेंट की जमाबन्दी में रकबा की कमी
है अंकित कर दिया जब कि 7 बिघा 14 बिस्वा के हिसाब से 1.6632 है अं
था। इस प्रकार साबिक रकबा में 0.4332 है की कमी की दी ओर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में
भी साबिक नक्शे की तुलना में कमी कर दी ओर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में
की तुलना में कमी कर दी। यह गलती सेवन से बन्दोबस्त के दौरान हुई है
न. 146, 147, 367/101, 143 किता 4 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा के बजाय
की जमाबन्दी में रकबा 1.6632 के बजाय 1.2300 है., नक्शा एवं नवीन जमाब
मिलान नहीं हो रहा है जबकि सेटलमेंट अधिकारियों से पुर्व की भांति वर्तमा
न. कायम किये जाने थे लेकिन उन्होंने कानून परिवर्तन कर दिया है जब कि
की जमाबंदी एवं साबिक नक्शे के अनुसार नवीन जमाबन्दी एवं नवीन नक्शे
जाना चाहीये था लेकिन ऐसा नही किया जाने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र
में पेश करने पर विवश होना पडा है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में हुई अशुद्धि को
का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम हल्का बग्गड के साबिक खसरा नं. 143, 146, 147, 367/101, 142 किता 5 नाना पिता भेरा 1/2, वरदा पिता उदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा के थी यह कि दिनांक 09.02.2015 का उपपंजीयन वल्लभनगर में रजिस्टर्ड खातेदार नाना पिता भेरा 1/2 डांगी ने उक्त खसरा नं. 143, 146, 147, 367/ रकबा 7–14 बिघा में अम्बालाल पुत्र दीपलाल 16/77 हिस्सा जाति ब्राह्मण नाम पर विक्रय की गई थी व शेष 45/154 हिस्सा नाना पिता भेरा के पास रहा।

4. यह कि तत्पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का बग्गड द्वारा ग्राम रावतपुरा के नाम 192 दिनांक 22.05.2015 द्वारा उक्त रजि. विक्रय पत्र का नामान्तकरण अम्बालाल पुत्र दीपलाल 16/77 हिस्सा के बजाय अम्बालाल पुत्र दीपलाल 1/2 खरसाण के नाम दर्ज कर दिया जो कि उक्त रजि. विक्रय पत्र के अनुसार दिया गया तब से आदिनांक तक खसरा नं. में अम्बालाल पुत्र दीपलाल 1/2 आया है। उक्त साबिक ख.न. 146 का नवीन ख.न. 201, 206, 207 बने है व 146 का नवीन ख.न. 205 (आंशिक) बने है व साबिक ख.न. 147 का नवीन ख.न. व साबिक ख.न. 367/101 का नवीन ख.न. 194, 195, 196 बने हैं।

5. यह कि उक्त नामान्तकरण सं. 192 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी संवत खाता सं. 02 खसरा नं. 194, 195, 196, 201, 26, 207, 208 किता 08 रकबा वक्त सेग्रीगेशन सहवन से समपूर्ण भूमि अम्बालाल पुत्र दीपलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गयी जो कि विक्रय पत्र के अनुसार गलत दर्ज हो गई है। भीण्डर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व गत जमाबन्दी खाता सं. 40 खसरा सं. 141, खसरा सं. 144, खाता संख्या 42 खसरा सं. 145 के आधार पर वर्तमान में उक्त करते हुए निम्न नवीन प्रविष्ठियों प्रस्तावति कि–
(अ) अम्बालाल पुत्र दीपलाल 16/77 ब्राह्मण सा. खरसाण, नाना पिता भेरा 45/154 छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
194	0.30	367/101
195	[illegible].01	367/101
196	[illegible]	367/101
201	[illegible].41	143
206	0.12	143
207	0.08	143
208	0.24	147

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता -7	1.17 है	

(ब) अम्बालाल पुत्र दीपलाल 11/86 ब्राह्मण सा. खरसाण, नाना पिता भेरा 1157/5074 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 17/118 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
205	0.86	145, 146
कुल किता 1	0.86 है.	

(स) नाना पिता भेरा 1/2 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
197	0.01	142
198	0.13	142
कुल किता 2	0.14 है.	

(द) नाना पिता भेरा 1/3 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/6 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
199	0.08	141
कुल किता 1	0.8 है.	

(य) नाना पिता भेरा 2/32 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 17/38 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
203	0.16	144
कुल किता 1	0.16 है.	

(र) नाना पिता भेरा 23/118 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 36/118 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार

नवीन खसरा न.	रकबा न.	साबिक खसरा
202	0.06	145
204	0.25	145
कुल किता 2	0.29 है.	

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि साबिक खसरा न. 146, 147, 367/101, 143 किता 4 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थी नाना पिता भेरा डांगी के नाम 1/2 हिस्से से एवं वरदा पिता उदा डांगी के नाम 1/2 हिस्से से खातेदारी हक से अंकित थी। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थी नाना पिता भेरा ने 16/77 हिस्सा अम्बालाल पिता दीपलाल देवीदासोत ब्राह्मण निवासी खरसाण को 09.02.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त विक्रय सुदा भूमि पर क्रेता अम्बालाल का एवं शेष 61/77 हिस्सा प्रार्थी नाना पिता भेरा डांगी का यथावत रहा जिस पर प्रार्थी नाना का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। उक्त विक्रय के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 192 खोला गया तब पटवारी हल्का को विक्रय पत्र के आधार पर 16/77 हिस्से का नामान्तकरण क्रेता अम्बालाल के नाम खोला जाना चाहीये था लेकिन [illegible] से क्रेता अम्बालाल के नाम 1/2 हिस्सा का खोल दिया गया जो ग्राम पंचायत [illegible] स्वीकार भी कर लिया गया। जब कि प्रार्थी नाना ने क्रेता अम्बालाल [illegible] 16/77 हिस्सा [illegible] विक्रय किया गया एवं कब्जा सिपुर्द किया गया एवं शेष 61/77 हिस्से पर आज भी प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से के [illegible] पिता उदा डांगी तथा उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा कभी भी अपना हिस्सा किसी को भी विक्रय नहीं किया लेकिन नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण भाग अम्बालाल पिता दीपलाल देवीदासोत के नाम गलत रूप से अंकित कर दिया साथ ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि के रकबे में भी कमी कर दी जिससे उक्त त्रुटि को सुधारे जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि तत्कालीन पटवारी हल्का बग्गड द्वारा ग्राम रावतपुरा के नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 22.05.2015 द्वारा उक्त रजि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र का नामान्तकरण सहवन से क्रेता अम्बालाल पुत्र दीपलाल 16/77 हिस्सा के अम्बालाल पुत्र दीपलाल 1/2 ब्राह्मण सा. खरसाण के नाम दर्ज कर दिया जो कि उक्त विक्रय पत्र के अनुसार गलत दर्ज कर दिया गया तब से आदिनांक तक खसरा अम्बालाल पुत्र दीपलाल 1/2 ही दर्ज होता आया है। उक्त साबिक ख.न. 146 का नवीन न 201, 206, 207 बने है व साबिक ख.न. 146 का नवीन ख.न. 205 (आंशिक) बने साबिक ख.न. 147 का नवीन ख.न. 208 बने है व साबिक ख.न. 367/101 का नवीन 194, 195, 196 बने हैं साथ ही स्पष्ट किया कि उक्त नामान्तकरण सं. 192 के आधार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078 –81 के खाता सं. 02 खसरा नं. 194, 195, 196, 201, 20, 208 किता 08 रकबा 1.23 हैं. भूमि वक्त सेग्रीगेशन सहवन से सम्पूर्ण भूमि अम्बालाल दीपलाल जाति ब्राह्मण सा. खरसाण के नाम दर्ज कर दी गयी जो कि विक्रय पत्र के अ गलत दर्ज हो गई है जिसे तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त खातो की शुद्धि हेतु प्रवि प्रस्तावित की।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम का स्वी किया जाता है कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 02 व 40 को संशोधित करते हुये आराजी न. 194, 1 196, 201, 206, 207, 208 किता 7 रकबा 1.17 है. भूमि अम्बालाल पुत्र दीपलाल 16/77 ब्राह्म सा. खरसाण, नाना पिता भेरा 45/154 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र व देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। इसी प्रकार आराजी न. 205 किता 1 रकबा 0.86 है. भूमि अम्बालाल पुत्र दीप 11/86 ब्राह्मण सा. खरसाण, नाना पिता भेरा 1157/5074 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 17/ डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ पत्नी वरदा 1/2 डांगी मनोहरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार आराजी न. 1 198 किता 2 रकबा 0.14 है. भूमि नाना पिता भेरा 1/2 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूला किशोरलाल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार के नाम द किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार आराजी न. 199 किता 1 रकबा 0.08 है. भूमि ना पिता भेरा 1/3 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/6 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरल पुत्र वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार आराजी न. 203 किता 1 रकबा 0.16 है. भूमि नाना पिता भे 2/32 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 17/38 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पु वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदे दिये जाते है। इसी प्रकार आराजी न. 202, 204 किता 2 रकबा 0.29 है. भूमि नाना पिता भे 23/118 डांगी, देऊ बाई पत्नी वरदा 36/118 डांगी, दला, छगनलाल, बाबूलाल, किशोरलाल पु वरदा, देऊ बाई पत्नी वरदा 1/2 डांगी सा. मनोहरपुरा खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदे दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्ब से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested